अध्याय – छह

लेनदेन लेखापरीक्षा

v/;k; Ng % yunu ys[kkijh{kk

uxjh; fodkl ,oa i;kZoj.k foHkkx

6-1 fu;eksa vkSj fofu;eksa dk vuqikyu u fd;k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप हो । इससे न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में भी सहायता मिलती है । नियमों और विनियमों का अनुपालन न होने पर प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

6-1-1 enkd 'kqYd dk de vkjksi.k

enkd 'kqYd vkSj iath;u 'kqYd de vkjksfir djus ds dkj.k 'kklu jkf'k ₹ 34-04 yk[k ds jktLo ls oafpr jgk A

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(द) के अनुसार, पट्टा विलेख जिनके पट्टे की अवधि एक वर्ष से अधिक है को अनिवार्यतः पंजीकृत कराना आवश्यक है । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(ए) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रीमियम की आठ प्रतिशत[1] और आरक्षित वार्षिक किराया की चार प्रतिशत[2] राशि मुद्रांक शुल्क के रूप में आरोपित की जानी थी । आगे ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई (75 प्रतिशत) आरोपित होगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अनुसार जन कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे प्रकरण जो अनुचित रूप से मुद्रांकित हैं, उनमें वसूली की कार्रवाई की जाए और विधिवत मुद्रांकित कराने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ।

कार्यालय मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर परिषद, सनावद, जिला खरगौन के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2014) कि अप्रैल 1997 और फरवरी 2008 के मध्य 240 दुकानों को 3 वर्ष और आगे अवधि के विस्तार के प्रावधानों के साथ निजी व्यक्तियों को नीलाम और आवंटित की गई । आंवटन, प्रीमियम के साथ निश्चित किराया, जो समय–समय पर पुनरीक्षण योग्य था, के आधार पर किए गए थे । इस आवंटन का प्रत्येक पट्टा विलेख नगरपालिका द्वारा ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया । आगे, पट्टा विलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि नगर परिषद द्वारा प्रीमियम राशि एकत्रित की गई थी परन्तु पट्टा विलेखों में यह उल्लेखित नहीं की गई थी । अतः उप पंजीयक द्वारा प्रीमियम पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 19.35 लाख और पंजीयन शुल्क ₹ 14.69 लाख की कम वसूली हुई ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में, शासन द्वारा बताया गया कि पट्टा विलेखों को पंजीकृत करवाने के लिए दुकानदारों को सूचना जारी की जा चुकी थी । शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि सभी नगर परिषदों को ऐसे प्रकरणों को पंजीयन विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

तथ्य यह है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, सनावद द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम और पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में हुई असफलता एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क को कम आरोपण के कारण शासन को राशि ₹ 34.04 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा ।

6-1-2 tkWc[kke vkSj ykxr mifu;e dh /kkjk vfrfjDr ykxr dh olwyh u gksuk

uxj ifj"kn] dkuM }kjk dk;Z ds iwoZ vkoaVu djus ls jkf'k ₹ 7-68 yk[k vfrfjDr 0;; fd;k x;k tks tkWc[kke ,oa ykxr mifu;e ds /kkju ioZ Bsdsnkj ls olwy ugha fd;k x;k A

नगर परिषद, कानड़, जिला आगर द्वारा वार्ड क्रमांक 15 (रज्जाक खान से माता जी मंदिर) की सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य अनुसूची दर 1999 की दर से 48.90 प्रतिशत अधिक पर ठेकेदार को प्रदाय किया गया (नवम्बर 2010) । कार्य स्वर्ण जयंती शहरी

---

[1] 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5 प्रतिशत दरें पुनरीक्षित कर दी गईं

[2] अधिसूचना क्र.(19)बी.4.21.2004. सी.टी..वी. दिनांक 06.09.2004 के द्वारा दर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया गया ।

रोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 9.80 लाख की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया था (अक्टूबर 2009) । कार्य आदेश ठेकेदार को कार्य तीन महीने में पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था ।

निविदा दस्तावेजों की शर्त 3(सी), जो नगर परिषद और ठेकेदार के मध्य निष्पादित अनुबन्ध का हिस्सा था, के अनुसार कार्य परित्याग की स्थिति में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने हेतु अन्य ठेकेदार को प्रदाय कर सकेगा और कोई अतिरिक्त व्यय को मूल ठेकेदार द्वारा वहन करना होगा एवं देय होगा और उसको बकाया प्रदाय की जाने वाली राशि से वसूल किया जाएगा ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, कानड़ के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (जनवरी 2015) कि ठेकेदार द्वारा सड़क की खुदाई के बाद कार्य रोक दिया गया था । अतः ठेकेदार को एक नोटिस जारी करते हुए (मार्च 2011) 24 घंटे के अंदर कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कहा गया, जिसमे असफल होने पर कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा । तत्पश्चात् संविदा निरस्त कर दिया गया था और मार्च 2011 में निविदा आमंत्रण सूचनाएं पुनः जारी की गई । बाद में, संविदा अनुसूची दर से 95 प्रतिशत अधिक दर पर अन्य ठेकेदार को प्रदाय किया गया (अप्रैल 2011) और ठेकेदार को राशि ₹ 22.27 लाख का अंतिम भुगतान किया गया (सितम्बर 2014) ।

चूंकि दूसरी निविदा पूर्व ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित की गई थी, मूल निविदा की शर्त 3(सी) के अनुसार पूर्व ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय ₹ 7.68 लाख[3] की वसूली की जानी थी । तथापि, यह नगर परिषद, कानड़ द्वारा वसूल नहीं की गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि सितम्बर 2015 में ठेकेदार को ₹ 7.68 लाख 7 दिनों के अन्दर जमा करने की सूचना जारी कर दी गई थी अन्यथा जोखिम एवं लागत राशि वसूली की कार्रवाई राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रारम्भ की जाएगी ।

तथ्य यह है कि चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्व ठेकेदार से कार्य के पुनः प्रदाय किये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय राशि ₹ 7.68 लाख की वसूली नहीं की गई थी ।

6-2 vkfpR; ds fcuk O;;

लोक निधियों से प्राधिकृत व्यय लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं । व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययता लागू करना चाहिए । बिना औचित्य के व्यय पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है :

6-2-1 ikuh ds ehVjks ds LFkkiu ij fujFkZd O;;

Xokfy;j uxjikfyd fuxe }kjk xSj ?kjsyw miHkksDrkvksa gsrq LFkkfir ikuh ds ehVjksa ij jkf'k ₹ 24-46 yk[k dk O;; fd;k x;k tks fujFkZd jgk D;ksafd Xokfy;j uxjikfyd fuxe us LFkkfir fd, x, ikuh ds ehVjksa esa ntZ [kir ds vk/kkj ij iHkkj yxkus ds LFkku ij ty [kir ds fcy fu/kkZfjr iHkkj ds vk/kkj ij r;kj djuk tkjh j[kk A

ग्वालियर नगरपालिक निगम ने जल की वास्तविक खपत के आधार पर गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक देयक तैयार करने के उद्देश्य से 1,088 पानी के मीटरों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और काम में लाने हेतु एक निविदा आमंत्रित की थी (नवम्बर 2006) । सफल बोलीदाता फर्म और ग्वालियर नगरपालिक निगम के मध्य ₹ 42.64 लाख मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया गया (मार्च 2007) । पानी के मीटरों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और काम में लाए जाने का ठेका अनुबंध हस्ताक्षर की दिनांक से एक साल के भीतर पूर्ण किया जाना था । ग्वालियर नगरपालिक निगम ने मीटर बॉक्स की कीमत में कमी के कारण परियोजना की लागत ₹ 35.47 लाख

[3] ₹ 22,27,056 (अंतिम भुगतान) – ₹ 14,59,220 (9.80 लाखX48.90 प्रतिशत) = ₹ 7,67,836

पुनरीक्षित की (जुलाई 2009) तथा कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि भी जुलाई 2010 पुनरीक्षित की । 'मध्य प्रदेश में नगरीय जल आपूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना' जिसके अन्तर्गत सभी गैर घरेलू एवं औद्योगिक वाटर कनेक्शनों में 2009 तक मीटर लगाए जाने थे, के लिए होने वाले व्यय का वहन एशियन विकास बैंक के ऋण से किया जाना था ।

ग्वालियर नगरपालिक निगम के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2014) कि फर्म द्वारा दिसम्बर 2010 तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के पानी पाइपलाइन पर 943 पानी के मीटर संस्थापित किए गए थे । शेष 145 पानी के मीटर की संस्थापना नहीं की गयी जबकि फर्म द्वारा संस्थापित किए गए 943 पानी के मीटरों का परीक्षण और उपयोग में लाये जाने का कार्य नही किया गया । तथापि, ग्वालियर नगरपालिक निगम ने पानी के मीटरों के परीक्षण/उपयोग में लाये बिना, ही ठेकेदार को ₹ 24.46 लाख का अंतिम भुगतान कर दिया (दिसम्बर 2012) ।

हमने आगे पाया (अप्रैल 2015) कि नगरपालिक निगम द्वारा जल की वास्तविक खपत के आधार पर जल प्रभार की वसूली का प्रस्ताव पारित किया गया (जनवरी 2011) । तथापि, ग्वालियर नगरपालिक निगम द्वारा संस्थापित किए गए पानी के मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर प्रभार लगाने के स्थान पर जल खपत के बिल निर्धारित प्रभार के आधार पर तैयार करना जारी रखा । इस प्रकार, पानी के मीटरों की संस्थापना पर किया गया व्यय ₹ 24.46 लाख निरर्थक रहा ।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि संस्थापित मीटरों को क्रियाशील रखने और बिलों को वास्तविक जल खपत के आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय यंत्रियों को आदेश जारी किए जा चुके थे ।

तथ्य यह है कि पानी के मीटरों की अधिप्राप्ति और संस्थापना पर व्यय किए गए ₹ 24.46 लाख निरर्थक रहे क्योंकि जल प्रभार का आरोपण पानी के मीटरों में दर्ज की गई वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था ।

¼lkjHk dqekj efYyd½
egkys[kkdkj
(lkekU; ,oa lkekftd {ks= ys[kkijh{kk)
e/; izns'k

Xokfy;j
fnukad 13 ekpZ 2016

ifrgLrk{kfjr

('kf'k dkUr 'kekZ)
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd

ubZ fnYyh
fnukad 14 ekpZ 2016